[2019] 1 एस. सी. आर. 671

पूना रैम

वी.

मोटी रैम (डी) टीएच। एलआरएस। & ओआरएस।

(2009 की सिविल अपील सं. 4527)

29 जनवरी, 2019

[एन. वी. रमना और मोहन एम. शांतनागौदर, जे. जे.]

सूटः

मालिकाना हक का दावा करने वाला मुकदमा-कई वर्षों के लिए तय किए गए कब्जे के आधार पर-यह आरोप लगाते हुए कि उसे प्रतिवादियों द्वारा गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया था-उसके कब्जे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं-प्रतिवादियों ने दो बिक्री विलेखों पर भरोसा किया (एक मूल मालिक द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के हित में पूर्ववर्ती को निष्पादित किया गया और दूसरा द्वारा

प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्ववर्ती-प्रतिवादी संख्या 1 के हित में)-निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया-पहली अपीलीय अदालत ने मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिवादियों ने मुकदमे की संपत्ति पर अपना अधिकार और कब्जा साबित कर दिया था-उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में, पहली अपीलीय अदालत के आदेश को उलटते हुए, मुकदमे का फैसला सुनाया-समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाः स्वामित्व साबित करने के लिए स्वामित्व, स्थापित/स्थापित अधिकार को साबित करने की आवश्यकता होती है-स्थापित अधिकार का अर्थ है ऐसा अधिकार जो पर्याप्त रूप से अस्तित्व में रहा हो।

लंबे समय तक, और वास्तविक मालिक द्वारा स्वीकार किया गया है-बसाया गया अधिकार प्रभावी, निर्बाध और मालिक के ज्ञान के लिए या अतिक्रमणकर्ता द्वारा छिपाने के किसी भी प्रयास के बिना होना चाहिए-कब्जे में दुश्मनी का एक तत्व होना चाहिए।

संभावना-मालिक के कहने पर एक एजेंट या नौकर के रूप में संपत्ति का कब्जा वास्तविक कानूनी कब्जे के बराबर नहीं होगा अतिचारक के कब्जे की प्रकृति का निर्णय इन आधार पर किया जाना है - प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ-कब्ज़े का एक आकस्मिक कार्य या अतिक्रमण का आवारा कार्य, या एक कब्जा जो व्यवस्थित कब्जे में परिपक्व नहीं हुआ है, वास्तविक मालिक द्वारा आवश्यक बल का उपयोग करके भी बाधित या हटाया जा सकता है-वर्तमान मामले में, कोई सामग्री नहीं है

यह दिखाने के लिए पाया गया कि वादी वास्तविक कब्जे में एक लंबी अवधि के लिए बहुत कम निरंतर कब्जे में था जिसे कहा जा सकता था

निपटाया हुआ कब्जा प्रतिवादी नंबर 1 ने अपना खिताब साबित कर दिया है और

संपत्ति की खरीद की तारीख से कब्जा-उच्च

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्यों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था-मुकदमा खारिज हो जाता है-अधिकार।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. प्रथम अपीलीय न्यायालय, तथ्य की अंतिम अदालत होने के नाते, अभिलेख पर संपूर्ण सामग्री की उचित सराहना करने पर, एक निश्चित निष्कर्ष दिया कि विचारण न्यायालय मुकदमे का आदेश देने में उचित नहीं था, और कहा कि पूर्ववर्ती-प्रतिवादियों के हित में-1966 से पहले भी विचाराधीन संपत्ति के कब्जे में था, और जून 1966 में पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से इसे बेच दिया था। ए-2। यह बिक्री विलेख भूमि के माप को दर्शाता है, जो लगभग विचाराधीन भूखंडों से मेल खाता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि नगर पालिका ने जागीरदार (मूल मालिक) को केवल तीन भूखंड दिए थे, और उन तीन भूखंडों को मिलकर 32 x 66 हाथ (माप की इकाई) मापा गया था। इस प्रकार, प्रत्येक भूखंड 32 x 22 हाथ मापा गया। इन्हें प्लॉट नंबर 4, प्लॉट नंबर 5 और प्लॉट नंबर 7 के रूप में क्रमांकित किया गया था। विवादित स्थल प्लॉट नंबर 7 है। यह भी प्रासंगिक है कि घर के निर्माण की मंजूरी वर्ष 1957 में प्रतिवादियों के हित में पूर्ववर्ती को दी गई थी। जाहिर है, ऐसी मंजूरी केवल संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के आधार पर दी गई होगी। आधिकारिक रिकॉर्ड

(सर्वेक्षण मानचित्र), Ex.14, जो विचाराधीन भूखंड से संबंधित है, यानी, भूखंड संख्या 7, से पता चलता है कि इसका स्वामित्व प्रतिवादी संख्या 1 के पास था।

[पैरा 6,7] [676-जी-एच; 677-ए-बी]

2. एक व्यक्ति जो किसी विशेष संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करता है, उसे यह दिखाना होगा कि वह उक्त संपत्ति के निपटारे या स्थापित कब्जे में है। लेकिन केवल आवारा या रुक-रुक कर किए जाने वाले अतिक्रमण के कृत्य असली मालिक के खिलाफ ऐसा अधिकार नहीं देते हैं। अधिवासित अधिकार का अर्थ है संपत्ति पर ऐसा अधिकार।

जो काफी लंबे समय से अस्तित्व में है, और वास्तविक मालिक द्वारा स्वीकार किया गया है। कब्ज़े के एक आकस्मिक कार्य का कब्ज़े को बाधित करने का प्रभाव नहीं होता है

सही मालिक। अतिक्रमण का एक आवारा कार्य, या एक कब्जा जो व्यवस्थित कब्जे में परिपक्व नहीं हुआ है, बाधित किया जा सकता है या आवश्यक बल का उपयोग करके भी असली मालिक द्वारा हटा दिया गया। व्यवस्थित कब्जा (i) प्रभावी, (ii) निर्बाध, और (iii) मालिक की जानकारी के लिए या बिना किसी प्रयास के होना चाहिए।

अतिक्रमणकारी द्वारा छिपाना। एक स्ट्रेटजैकेट पूना रैम वी नहीं हो सकता है।

मोटी रैम (डी) टीएच। एलआरएस।

तय किए गए कब्जे को निर्धारित करने के लिए सूत्र। अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा या उसके कहने पर कार्य करने वाले सेवक द्वारा मालिक वास्तविक कानूनी अधिकार के बराबर नहीं होगा। कब्ज़े में दुश्मनी की संभावना का एक तत्व होना चाहिए। अतिक्रमणकारी के कब्जे की प्रकृति तथ्यों के आधार पर तय की जानी है।

और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। [पैरा 13] [679-जी-एच; 680-ए-बी] 3. संपत्ति के कब्जे को साबित करने के लिए, वादी ने किराए के नोट एक्स पर भरोसा किया। 1 , जो दर्शाता है कि कथानक में

वर्ष 1967 में वादी द्वारा प्रश्न छोड़ दिया गया था। 12.05.1967 पर आग लग गई और भूखंड पर रखा पूरा चारा जल गया। इसके बाद भूखंड को खाली रखा गया। डी. डब्ल्यू.-7, जिसे आग के फैलने की पुष्टि करने के लिए संदर्भित किया गया है, ने कहा कि आग रेलवे से आने वाली चिंगारी के कारण लगी थी। इंजन। लेकिन विवादित भूमि के बगल में कोई रेलवे लाइन नहीं थी जिससे आग लग सकती थी। अन्यथा भी, किराया नोट Ex। 1 विचाराधीन भूखंड का उल्लेख नहीं करता है, और इसकी सीमाओं का भी उल्लेख नहीं किया गया है। केवल संदिग्ध सामग्री पर और

सरसरी सबूत, यह नहीं माना जा सकता है कि वादी कभी भी संपत्ति के कब्जे में था, और वह भी निपटाये गए कब्जे में। [पैरा 15] [680-डी-एफ]

4. यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली है कि वादी/प्रतिवादी

नं. 1 संपत्ति के वास्तविक कब्जे में था, बहुत कम निरंतर कब्जे में, एक लंबी अवधि के लिए जिसे व्यवस्थित कब्जा या स्थापित कब्जा कहा जा सकता है। केवल आकस्मिक कब्जा, वह भी संपत्ति के एक हिस्से पर पड़े मोटर वाहन निकाय पर निर्भर रहना, वादी का स्थायी कब्जा साबित नहीं होगा। [पैरा 16] [680-जी-एच; 681-ए]

5. वादी को अदालत की संतुष्टि के अनुसार अपना मामला साबित करना होता है। वह प्रतिवादी के मामले की कमजोरी पर सफल नहीं हो सकता है। अन्यथा भी, विचाराधीन संपत्ति की पहचान के बारे में कोई भ्रम नहीं है और अभिलेख पर सामग्री के आधार पर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही फैसला सुनाया है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने संपत्ति की खरीद की तारीख से ही वाद संपत्ति पर अपना अधिकार और कब्जा साबित कर दिया है। खरीद से पहले, उनके पूर्ववर्ती के पास उसी का ब्याज था। [पैरा 17] [681-बी]

6. आम तौर पर, उच्च न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है

प्रथम अपीलीय न्यायालय [2019] 1 एस. सी. आर. द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों के साथ।

जब ऐसे निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य पर आधारित हों, और विकृत या अभिलेख पर सामग्री के खिलाफ न हों। उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था, जिसने मामले का निर्णय लेने में विचारण न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर बहुत भारी प्रहार किया है, विशेष रूप से जब प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के साथ तथ्यों पर कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। [पैरा 18] [681-सी-ई]

7. उच्च न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाला गया और

इसके लिए दिए गए कारण सही नहीं हैं क्योंकि वादी के मामले के पक्ष में स्वामित्व अधिकार दिखाने के लिए बिल्कुल कोई सामग्री नहीं है। स्वामित्व अधिकार का दावा करने के लिए, वादी को अपना मामला खुद साबित करना होगा, और यह भी दिखाना होगा कि उसके पास किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर अधिकार है। चूंकि इस बात का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है कि वादी के पास मुकदमे की संपत्ति थी, वह भी लंबे समय तक, इसलिए उसे प्रतिवादियों के साक्ष्य में मामूली विसंगतियों के आधार पर सफल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 19] [681-ई-एफ]

मिदनापुर जमींदारी कं. लिमिटेड बनाम। नरेश नारायण रॉय

ए. आई. आर. 1924 पी. सी. 144; नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड बनाम। के. सी.

अलेक्जेंडर एयर 1968 एससी 1165; राम गौड़ा (मृत)

एलआरएस द्वारा। वी. एम. वरदाप्पा नायडू (मृत) एल. आर. एस. और

दूसरा (2004) 1 एस. सी. सी. 769: [2003] 6 पूरक। एससीआर 850

- संदर्भित किया गया।

न्यायशास्त्र पर सैल्मंड (12 संस्करण। पैरा 59-60 पर) -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

आकाशवाणी 1924 पी. सी. 144

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

संदर्भित किया गया है

पै

रा 10

ए. आई. आर 1968 एस. सी. 1165

[2003] 6 पूरक। एससीआर 850

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4527

2009 से।

28.08.2006 और 19.10.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 1984 की सिविल द्वितीय अपील संख्या 97 और 2006 की सिविल समीक्षा याचिका संख्या 18 में।

पूना रैम वी। मोटी रैम (डी) टीएच। एलआरएस।

सुश्री क्रिस्टी जैन, पुनीत जैन, सुश्री अंकिता गुप्ता, हर्ष जैन, सुश्री प्रतिभा जैन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

पल्लव शिशोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री मधुरिमा तातिया, सुश्री के. वी. भारती उपाध्याय, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, जे. 1. फैसला

1984 की सिविल द्वितीय अपील संख्या 97 में जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.08.2006 और 2006 की सिविल समीक्षा याचिका संख्या 18 में समवर्ती निर्णय, जिसे खारिज करते हुए, असफल प्रतिवादियों द्वारा इस अपील में प्रश्न में कहा गया है।

2. इस अपील की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा स्वामित्व की घोषणा और कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया गया। निर्विवाद रूप से, वादी मोती राम ने

उनके कब्जे को साबित करने के लिए स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन कई वर्षों तक पूर्व कब्जे के आधार पर स्वामित्व का दावा किया। हालाँकि, वादी के अनुसार, उसे प्रतिवादियों द्वारा 30.04.1972 पर गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया था, जो वर्तमान मुकदमा दायर करने से पहले के 12 वर्षों के भीतर था। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाया और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को उलट दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रतिवादियों ने मुकदमे की संपत्ति पर अपना अधिकार और कब्जा साबित कर दिया था।

संपत्ति पर लंबे समय तक अधिकार, और दावा किया कि उससे बेहतर स्वामित्व वाला कोई नहीं था। इसके विपरीत, प्रतिवादी दो बिक्री विलेखों पर विश्वास करते थे, अर्थात्। , Ex. ए-6 दिनांकित 06.02.1956, जिसे मूल मालिक खुम सिंह ने पुरखा राम के पक्ष में निष्पादित किया, और एक्स। ए-2 दिनांकित 21.06.1966, अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में पुरखा राम द्वारा निष्पादित। यह भी विवादित नहीं था कि वादी के पास मुकदमा दायर करने की तारीख तक अधिकार नहीं था, क्योंकि उसने आरोप लगाया है कि मुकदमा दायर करने से पहले प्रतिवादी द्वारा 30.04.1972 पर उसे गलत तरीके से बेदखल कर दिया गया था। 4. इस अपील में तय किए जाने वाले एकमात्र प्रश्न यह हैं कि क्या वादी का वाद संपत्ति पर बेहतर अधिकार था और क्या वह संपत्ति का कब्जा बसाया गया था, जिसके लिए कानून के अनुसार बेदखल करने की आवश्यकता थी।

5. सुश्री क्रिस्टी जैन, अपीलार्थी/की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

प्रतिवादी संख्या 1, हमें अभिलेख पर सामग्री के माध्यम से लेते हुए, तर्क देता है कि यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि वादी किसी भी समय संपत्ति के कब्जे में था, कानूनी रूप से लंबे समय के लिए बहुत कम। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि वादी का वाद संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार है। इसके अतिरिक्त, वह तर्क देती है कि प्रतिवादी द्वारा ऊपर उल्लिखित बिक्री विलेखों पर भरोसा करने से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि

मुक़दमे की संपत्ति की खरीद की तारीख से प्रतिवादियों के पास संपत्ति का मालिक के रूप में कब्जा था।

6. निर्विवाद रूप से और जैसा कि दोनों पक्षों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है, विचाराधीन संपत्ति मूल रूप से बाड़मेर के जागीरदार खुम सिंह की थी। द.

सर्वेक्षण) से पता चलता है कि मोती राम के पास उस भूमि का अधिकार था, जिसके पूर्व में नवल हरिजन के भूखंड के पूर्व में नवा हरिजानंद के कब्जे में था, उस स्थान पर पुरखा राम (याद करने के लिए, प्रतिवादियों के हित में पूर्ववर्ती) के कब्जे का संकेत दिया गया है। इसके अलावा, दक्षिण में एक भूखंड पर पुरखा राम के कब्जे का भी संकेत दिया गया है। मोती राम द्वारा विधिवत कब्जा की गई भूमि। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इन व्यक्तियों के कब्जे में खुम सिंह के स्वामित्व वाली भूमि के भूखंड समान रूप से स्थित नहीं थे। हालाँकि, नगरपालिका द्वारा कब्जा करने के बाद, ऐसा लगता है कि भूखंडों का व्यवस्थित रूप से निर्माण किया गया था। यद्यपि वादी द्वारा विचाराधीन संपत्ति की सीमाओं के संबंध में कुछ भ्रम पैदा किया गया था, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्य की अंतिम अदालत होने के नाते, रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री की उचित सराहना करने पर, एक निश्चित निष्कर्ष दिया कि निचली अदालत मुकदमे का आदेश देने में उचित नहीं थी, और कहा कि पूर्वा राम के पास विचाराधीन संपत्ति का कब्जा था।

1966 से पहले भी, और जून 1966 में पूर्व के माध्यम से पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से इसे बेच दिया था। ए-2। यह बिक्री विलेख भूमि के माप को दर्शाता है, जो लगभग विचाराधीन भूखंडों से मेल खाता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि नगर पालिका के पास पूना राम v था।

मोटी रैम (डी) टीएच। एलआरएस। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

जागीरदार को केवल तीन भूखंड दिए गए, और उन तीन भूखंडों को मिलकर 32 x 66 हाथ (माप की इकाई) मापा गया। इस प्रकार, प्रत्येक भूखंड 32 x 22 हाथ मापा गया। इन्हें प्लॉट नंबर 4, प्लॉट नंबर 5 और प्लॉट नंबर 7 के रूप में क्रमांकित किया गया था। विवादित स्थल PlotNo.7 है।

7. आधिकारिक रिकॉर्ड (सर्वेक्षण मानचित्र), एक्स। 14 , जो प्लॉट से संबंधित है

विचाराधीन, यानी प्लॉट नंबर 7 से पता चलता है कि इसका स्वामित्व पूना राम के पास था, जो प्रतिवादी नंबर 1 हैं और इसमें अपीलकर्ता हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस घर के निर्माण की मंजूरी वर्ष 1957 में पुरखा राम को दी गई थी। जाहिर है, ऐसी मंजूरी केवल संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के आधार पर दी गई होगी।

8. सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 64 एक वाद पर विचार करती है -

अचल संपत्ति का कब्जा पिछले कब्जे के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर नहीं, यदि बेदखल होने की तारीख से 12 साल के भीतर लाया जाता है। इस तरह के मुकदमे को कानून में स्वामित्व शीर्षक पर आधारित मुकदमे के रूप में जाना जाता है। स्वामित्व शीर्षक से। यह विवादित नहीं हो सकता है और अब तक यह अच्छी तरह से तय हो चुका है कि किसी व्यक्ति का 'व्यवस्थित अधिकार' या बिना किसी अधिकार के प्रभावी अधिकार उसे अपने अधिकार की रक्षा करने का अधिकार देता है जैसे कि वह एक सच्चा मालिक हो।

9. भारत में कानून, जैसा कि यह विकसित हुआ है, न्यायशास्त्र के अनुरूप है।

सैल्मंड जैसे प्रकाशकों द्वारा प्रस्तावित के रूप में सोचा गया। बादाम

ऑन ज्यूरिसप्रूडेंस (12 एडन। पैरास 59-60) में कहा गया हैः

" अतः स्वामित्व और अधिकार की ये दो अवधारणाएँ हो सकती हैं -

किसी वस्तु के वास्तविक धारक के बीच अंतर करने के लिए उपयोग किया जाए और उसके कानूनी मालिक, उस आदमी के बीच जिसके पास वास्तव में यह है और

वह आदमी जिसके पास होना चाहिए। वे अनुबंध करने के लिए भी सेवा करते हैं एक व्यक्ति की स्थिति जिसके अधिकार अंतिम, स्थायी और अवशिष्ट हैं

जिसके अधिकार केवल अस्थायी प्रकृति के हैं।

ए

क्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

अंग्रेजी कानून में कब्जा किसी के खिलाफ अधिकार का एक अच्छा खिताब है। जो बेहतर नहीं दिखा सकते। एक गलत मालिक के पास अधिकार हैं

पूर्व स्वामियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों के संबंध में एक स्वामी और स्वयं असली मालिक को छोड़कर। कई अन्य कानूनी प्रणालियाँ,

यहाँ तक कि एक गलत काम करने वाला, जो अपने कब्जे से वंचित है, भी वसूली कर सकता है। यह किसी भी व्यक्ति से जो कुछ भी हो, बस उसके आधार पर

अधिकार। यहाँ तक कि असली मालिक, जो अपना खुद का लेता है, वह [2019] 1 एस. सी. आर. हो सकता है।

इस तरह से इसे गलत काम करने वाले को वापस करने के लिए मजबूर किया जाता है, और उसे अपनी खुद की उच्च उपाधि स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसे पहले कब्जा छोड़ना होगा, और फिर कानून के अनुसार आगे बढ़ना होगा।

उसके स्वामित्व के आधार पर वस्तु की वसूली। इरादे. कानून का यह है कि प्रत्येक स्वामी को अपने कब्जे को बनाए रखने और पुनर्प्राप्त करने का अधिकार होगा, जब तक कि उसके अनुसार निर्णय द्वारा उससे वंचित नहीं किया जाता है।

कानून के लिए।

इस प्रकार अधिकार के संरक्षण के लिए कानूनी उपाय नियुक्त किए गए हैं। यहां तक कि स्वामित्व के खिलाफ भी स्वामित्व कहा जाता है, जबकि स्वामित्व की सुरक्षा के लिए उपलब्ध लोगों को स्वामित्व के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। आधुनिक और मध्ययुगीन नागरिक कानून में भेद को विरोधाभासी शब्दों याचिका (एक स्वामित्व मुकदमा) और स्वामित्व (एक स्वामित्व मुकदमा) द्वारा व्यक्त किया जाता है।

10. 1924 तक, मिदनापुर जमींदारी कंपनी लिमिटेड के मामले में v. नरेश नारायण रॉय, ए. आई. आर. 1924 पी. सी. 144, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि भारत में व्यक्तियों को जबरन शादी करने की अनुमति नहीं है।

कब्ज़ा; उन्हें ऐसा कब्ज़ा प्राप्त करना चाहिए जिसका वे अदालत के माध्यम से हकदार हैं। बाद में, नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड के मामले में v. के. सी. अलेक्जेंडर, ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 1165, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब तथ्य किसी भी पक्ष में किसी भी अधिकार का खुलासा नहीं करते हैं, तो केवल कब्जा ही निर्णय लेता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि यदि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 9

(वर्तमान धारा 6 के अनुरूप) लेकिन बेदखल करने की तारीख से 12 साल के भीतर पूर्व कब्जे पर एक मुकदमा नहीं रोकता है, और जब तक प्रतिवादी एक प्रदान नहीं कर सकता है तब तक स्वामित्व साबित करने की आवश्यकता नहीं है। 11. नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया था कि मालिक के रूप में भूमि पर कब्जा करने वाले और स्वामित्व के सामान्य अधिकारों का शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग करने वाले व्यक्ति को सही मालिक को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ पूरी तरह से अच्छा अधिकार है। ऐसे मामले में, प्रतिवादी को स्वयं या अपने पूर्ववर्ती को एक वैध कानूनी अधिकार और संभवतः वादी से पहले एक अधिकार दिखाना चाहिए, और इस प्रकार समय से पहले एक अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए।

पूना रैम वी। मोटी रैम (डी) टीएच। एलआरएस। [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

12. एलआरएस द्वारा राम गौड़ा (मृत) के मामले में। वी. एम. वरदाप्पा नायडू (मृत) एल. आर. एस. और एक अन्य, (2004) 1 एस. सी. सी. 769, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, इस विषय पर भारतीय कानून पर चर्चा करते हुए,

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः

" 8. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहां तक भारतीय कानून का संबंध है, शांतिपूर्ण कब्जे वाला व्यक्ति अपना अधिकार बनाए रखने का हकदार है। और इस तरह के कब्जे की रक्षा के लिए वह एक अतिक्रमणकारी को बाहर रखने के लिए उचित बल का भी उपयोग कर सकता है। एक सही मालिक जिसे गलत तरीके से भूमि से बेदखल कर दिया गया है, वह फिर से कब्जा कर सकता है यदि वह शांति से और अनुचित बल का उपयोग किए बिना ऐसा कर सकता है। अगर

अतिक्रमणकारी के पास सही मालिक की संपत्ति का स्थायी कब्जा है, सही मालिक को कानून का सहारा लेना होगा; वह कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकता है और अतिक्रमणकारी को बेदखल नहीं कर सकता है या उसके कब्जे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कानून शांतिपूर्ण और स्थायी कब्जे वाले व्यक्ति की सहायता के लिए एक सही मालिक को भी बल प्रयोग करने या अपने दम पर कानून लेने से रोक देगा।

हाथ, और उसे सही मालिक से भी कब्जे में बहाल करके (निश्चित रूप से सीमा के कानून के अधीन), यदि बाद वाले ने बल का उपयोग करके पूर्व मालिक को बेदखल कर दिया है। अनुपस्थिति में

बेहतर अधिकार, अधिकार या पूर्व शांतिपूर्ण निपटान अधिकार का प्रमाण स्वयं ही अधिकार का प्रमाण है। कानून यह मानता है कि कब्जा शीर्षक के साथ जाता है जब तक कि इसका खंडन नहीं किया जाता है। किसी भी संपत्ति का मालिक

किसी अतिक्रमणकारी को अपराध करने के प्रयास से उचित बल का उपयोग करके भी रोका जा सकता है, जब वह किए जाने की प्रक्रिया में हो, या एक कमजोर चरित्र का हो, या बार-बार, रुक-रुक कर, आवारा या आकस्मिक प्रकृति का हो, या अभी-अभी किया गया हो, जबकि सही मालिक के पास कानून का सहारा लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अंतिम मामलों में, अभी-अभी दर्ज किए गए अतिचारक के कब्जे को वास्तविक मालिक द्वारा स्वीकार किए जाने के रूप में नहीं कहा जाएगा।

13. इस मामले का सार यह है कि जो व्यक्ति किसी विशेष संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करता है, उसे यह दिखाना होगा कि वह निपटारे के दायरे में है या उक्त संपत्ति का कब्जा स्थापित किया। लेकिन केवल भटका हुआ या

अतिक्रमण के रुक-रुक कर होने वाले कार्य वास्तविक मालिक के खिलाफ ऐसा अधिकार नहीं देते हैं। अधिवासित अधिकार का अर्थ है उस संपत्ति पर ऐसा अधिकार जो पर्याप्त रूप से लंबे समय से अस्तित्व में है और जिसे वास्तविक मालिक द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। कब्ज़े के एक आकस्मिक कार्य का सही मालिक के कब्जे को बाधित करने का प्रभाव नहीं होता है। अतिचार का एक आवारा कार्य, या एक कब्जा जो परिपक्व नहीं हुआ है [2019] 1 एस. सी. आर.

अधिकार, वास्तविक मालिक द्वारा आवश्यक बल का उपयोग करके भी बाधित या हटाया जा सकता है। व्यवस्थित कब्जा (i) प्रभावी, (ii) निर्बाध, और (iii) मालिक की जानकारी के लिए या अतिक्रमणकर्ता द्वारा छिपाने के किसी भी प्रयास के बिना होना चाहिए। स्थिर कब्जा निर्धारित करने के लिए एक स्ट्रेटजैकेट सूत्र नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा एजेंट के रूप में या मालिक के कहने पर काम करने वाले नौकर द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा करना वास्तविक कानूनी कब्जे के बराबर नहीं होगा। कब्ज़े में दुश्मनी की संभावना का एक तत्व होना चाहिए। स्वामित्व की प्रकृति अतिक्रमणकारी का निर्णय तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है

हर मामले में।

14. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पुरखाराम ने जागीरदार खुम सिंह से तीन भूखंड खरीदे थे। बिक्री विलेख में पूर्व। ए-6, तीन भूखंडों का उल्लेख तीन घरों के भूखंडों के रूप में किया गया है। इनमें से एक प्लॉट नंबर 7 था जिसे पुरखा राम ने अपीलार्थी को बेच दिया था, एक प्लॉट नंबर 4 था जिसे तेजा राम को बेच दिया गया था और तीसरा प्लॉट नंबर 5 था जिसे पुरखा राम ने बरकरार रखा था। 15. संपत्ति के कब्जे को साबित करने के लिए, वादी ने किराए के नोट एक्स पर भरोसा किया। 1 , जो दर्शाता है कि विचाराधीन भूखंड को पट्टे पर दिया गया था

वर्ष 1967 में वादी द्वारा एक जोगा राम को बाहर निकाल दिया गया। 12.05.1967 पर, a

16. वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 संपत्ति पर पड़े अपने मोटर वाहन के पुराने हिस्से का अधिकांश हिस्सा बनाता है। Ex. 2 यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मोटर वाहन का एक हिस्सा विवादित संपत्ति पर पड़ा था और दूसरा हिस्सा वादी के भूखंड पर पड़ा था। मोटर वाहन का उक्त शरीर केवल 3 से 4 फीट लंबा है और वह विवादित संपत्ति की सीमा पर पड़ा हुआ था। लेकिन वादी/प्रतिवादी संख्या 1 ऐसे आधार पर पूरे भूखंड के कब्जे का दावा करता है तथ्य। यह दिखाने के लिए बिल्कुल कोई सामग्री नहीं मिली है कि वादी/प्रतिवादी संख्या 1 लंबे समय तक संपत्ति के वास्तविक कब्जे में था, बहुत कम निरंतर कब्जे में था, जिसे सेटल्ड कब्ज़ा या पूना रैम v कहा जा सकता है।

अधिकार स्थापित किया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल आकस्मिक कब्जा, वह भी संपत्ति के एक हिस्से पर पड़े मोटर वाहन निकाय पर निर्भर,

वादी का तय कब्ज़ा साबित नहीं होगा।

17. वादी को अपने मामले को संतुष्ट करने के लिए साबित करना होगा

अदालत। वह प्रतिवादी के मामले की कमजोरी पर सफल नहीं हो सकता है। अन्यथा भी, विचाराधीन संपत्ति की पहचान के बारे में और अभिलेख पर सामग्री के आधार पर कोई भ्रम नहीं है, प्रथम

अपीलीय न्यायालय ने सही फैसला सुनाया है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने संपत्ति की खरीद की तारीख से मुकदमे की संपत्ति पर अपना अधिकार और कब्जा साबित कर दिया है। खरीद से पहले, उनके पूर्ववर्ती के पास उसी का ब्याज था।

18. कानून की स्थिति और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय में न्यायसंगत नहीं था

प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना, जिसने मामले का निर्णय लेने में विचारण न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर बहुत भारी प्रहार किया है, विशेष रूप से जब तथ्यों पर कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के साथ।

आम तौर पर, यह उच्च न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करने के लिए खुला नहीं है

अभिलेख पर सामग्री। 19. उच्च न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है और उसके लिए दिए गए कारण सही नहीं हैं क्योंकि वादी के मामले के पक्ष में स्वामित्व अधिकार दिखाने के लिए बिल्कुल कोई सामग्री नहीं है। में।

स्वामित्व अधिकार का दावा करने के लिए, वादी को अपना मामला खुद साबित करना होगा, और यह भी दिखाना होगा कि उसके पास किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में बेहतर अधिकार है। चूंकि इस बात का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है कि वादी के पास मुकदमे की संपत्ति थी, वह भी लंबे समय तक, इसलिए उसे प्रतिवादियों के साक्ष्य में मामूली विसंगतियों के आधार पर सफल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तदनुसार, अपील सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है।

20. उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.08.2006 के विवादित फैसले और इसकी समीक्षा को दरकिनार कर दिया गया है और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को बहाल कर दिया गया है। नतीजतन, मुकदमा खारिज हो जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी